भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2150

09.12.2024 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित करना

2150. श्री तमिलसेल्वन थंगा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार के उन आदेशों की जानकारी है, जिनमें कतिपय वन क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित करने और वनवासियों को बेदखल करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 और बाघ आरक्षित क्षेत्र अधिसूचना के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इन आदेशों की समीक्षा की गई है;

(ग) क्या इन अधिसूचनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित वन निवासी समुदायों के समुचित पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किए गए थे; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में बाघ संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के दौरान वन निवासियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : तमिलनाडु राज्य द्वारा ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(घ) से (ड.) : भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 के विषय-क्षेत्र के दायरे में अधिसूचित बाघ रिजर्वों के प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों में स्वैच्छिक आधार पर गांवों के स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल/दिशा- निर्देश जारी किए हैं, जिसकी निगरानी और कार्यान्वयन राज्य-स्तरीय निगरानी समिति तथा जिला-स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है।